

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण है।

विश्व विकास रिपोर्ट 2018 की पृष्ठ 115 पर विश्व बैंक की नई रिपोर्ट, जो शिक्षा पर पहली बार केंद्रित है, दो शक्तिशाली छवियां हैं। वे दो-तीन महीने के दो शिशुओं के दिमाग के ढाका, बांग्लादेश में एमआरआई (चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग) चित्र लिया गया है। इसमें पाया गया कि एक शिशु का विकास अविकसित था, जबकि दूसरे में ऐसा कुछ भी नहीं था। इसमें पाया गया कि ली गयी छवियां अविकसित बच्चे और सामान्य बच्चे के बीच के अंतर को दर्शाती हैं। अविकसित बच्चे की तुलना में सामान्य बच्चे के मस्तिष्क में फाइबर का ट्रैक्ट्स काफी सघन और संयोजन काफी विस्तृत था। यह एक उदाहरण है कि कैसे अभाव छोटे बच्चों के मस्तिष्क के विकास में बाधा डाल सकता है।

कुपोषण का प्रभाव

'लर्निंग टू रियालाइज एजुकेशन प्रॉमिस' शीर्षक वाली रिपोर्ट, शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है। यह चार दशकों में ऐसा करने के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्टों में से पहला है। रिपोर्ट के बारे में नोट करने के लिए छह मुख्य बिंदु हैं। सबसे पहले, एक अधिकार आधारित दृष्टिकोण के साथ यह देखना अच्छा है कि यह शिक्षा के लिए एक नैतिक मामला है, जिसमें उप-धाराएं 'स्वतंत्रता के रूप में शिक्षा'; 'शिक्षा ने व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं में सुधार किया'; 'शिक्षा सभी समाज को लाभ' शामिल है।

दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण वर्गों में से एक शिक्षा के बारे में नहीं बल्कि प्रारंभिक बचपन के विकास के बारे में है। और ठीक ही, रिपोर्ट के लिए बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर गरीबी और क्रोनिक कुपोषण के दूरगामी प्रभाव की चर्चा की गई।

गरीबी एक बच्चे की शिक्षा को काफी नुकसान पहुंचाती है। 'गंभीर वंशानुक्रम-चाहे पोषण, अस्वास्थ्यकर वातावरण या देखभाल करने वालों द्वारा पोषण की कमी के मामले में-लंबे समय तक चलने वाला प्रभाव होता है, क्योंकि वे शिशुओं के मस्तिष्क के विकास को कम करते हैं।' शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक-भावनात्मक विकास के प्रारंभिक वर्षों में अविकसित दिमाग का प्रभाव बाद में बच्चों को सीखने से रोकते हैं।

अविकसित बचपन

रिपोर्ट में बताया गया है कि कम-आय वाले देशों में अधिक आय वाले देशों की तुलना में पांच-पांच साल के बच्चों में अविकसित दिमाग के मामले का दर तीन गुणा अधिक है। अविकसित दिमाग का प्रभाव प्रौढ़ता तक रहते हैं। यदि बचपन के विकास कार्यक्रम गरीब बच्चों के नुकसान की क्षतिपूर्ति करना चाहते हैं, तो उन्हें प्रारंभिक बाल उत्तेजन के लिए जन्म के पूर्व और जन्म के समय की देखभाल, स्वच्छता, और माता-पिता की सलाह पर ध्यान देने के साथ-साथ पोषण संबंधी जानकारी के लिए स्केल किया जाना चाहिए और उनका पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। आज देश के समक्ष अविकसित दिमाग की समस्या प्रमुख नैतिक अनिवार्यताओं में से एक होना चाहिए।

तीसरा, यह बिलकुल सही है कि प्रौद्योगिकी को अपने आप में एक रामबाण नहीं माना जाता है, बल्कि ऐसा कुछ है जो शिक्षा को बढ़ाने की क्षमता रखता है और साथ ही यह शिक्षक-शिक्षार्थी संबंध को केंद्र में बनाये रखता है। अगर वे शिक्षक-शिक्षार्थी संबंध बढ़ाते हैं तो तकनीकी हस्तक्षेप ज्ञान को बढ़ाता है।

चौथा, यह रिपोर्ट दृढ़ता से स्वीकार करती है कि सार्वजनिक बनाम निजी स्कूलों के मुद्दे पर, परिणाम अभी भी मिश्रित हैं: कोई भी ठोस सबूत नहीं है कि निजी स्कूल सार्वजनिक विद्यालयों के विपरीत बेहतर सीखने के परिणाम देते हैं या विपरीत। कुछ संदर्भों में, निजी स्कूल कम-से-कम में अक्सर सार्वजनिक प्रणालियों की तुलना में कम लागत पर तुलनीय सीखने के स्तर को वितरित करता है। फिर भी, कम वेतन वाले शिक्षक समय के साथ योग्य शिक्षकों की आपूर्ति को कम कर सकते हैं।

पांचवां, जबकि सीखने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, सीखने के संकट के कारणों की व्यापक और अधिक सूक्ष्म अन्वेषण उपयोगी रहेगा। हालांकि, स्कूल नामांकन में काफी वृद्धि हुई है लेकिन बड़े पैमाने पर शिक्षक की कमी रहती है। इसके अलावा, पढ़ने और अंकगणित से परे, सीखने के किसी भी अर्थपूर्ण आकलन को समझने, समस्या सुलझाना, महत्वपूर्ण सोच और नवीनता जैसे पहलुओं पर विचार करना चाहिए। मूल्यांकन में बढ़ोतरी इस क्षेत्र को बेहतर फंड बनाने के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है; शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार; शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास का समर्थन और शिक्षकों को मदद करने के लिए गरीब बच्चों को सीखने में मदद करें।

आगे बढ़ने का रास्ता

इससे किसी को एक्सेस और इक्विटी की लगातार समस्याओं पर अधिक ध्यान देने का मौका मिलेगा, जो वर्तमान में शिक्षा में सबसे बड़ी समस्या है। यदि शिक्षा का एक पहलू जो हमारी शिक्षा प्रणाली को सभी बच्चों के लिए बेहतर बनाने के लिए मापने और मापे जाने की जरूरत है, तो वह इक्विटी है। शिक्षा प्रणाली कैसे निष्पक्ष और न्यायसंगत है? सबसे बड़ी अंतराल कहाँ हैं? कौन से बच्चे असमान सिस्टम से सबसे अधिक पीड़ित हैं? इन सवालों को इक्विटी के लिए मूल्यांकन की निरंतर प्रक्रिया के भाग के रूप में पूछा जाना चाहिए।

पहुंच के लिए, दुनिया भर के 260 मिलियन से अधिक बच्चे जो यूरोप की आबादी के एक तिहाई के बराबर हैं, प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय में भी नामांकित नहीं हैं। वर्ष 2016 में प्राथमिक स्कूल की उम्र के 61 मिलियन बच्चे (कम-और-निम्न-मध्यम-आय वाले देशों में से 10% बच्चे) स्कूल विद्यालय के 202 मिलियन बच्चों के साथ, स्कूल नहीं जा रहे थे और इस संघर्ष से भरे विश्व में, स्कूली शिक्षा गंभीर स्थिति में है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि इक्कीसवीं सदी में भी इतने सारे बच्चे अभी भी स्कूल से वंचित हैं।

नो डिटेन्शन पॉलिसी (निरोधक नीति)

नो डिटेन्शन पॉलिसी शिक्षा के अधिकार अधिनियम (2009) का अहम् हिस्सा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009, जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। शिक्षा की धारा 21ए के तहत 6 और 14 वर्ष की उम्र के बीच प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बना दिया गया है और प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम मानदंड निर्दिष्ट किए गए हैं। इस अधिनियम में सभी निजी स्कूलों (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर) के गरीबों और अन्य श्रेणियों के बच्चों के लिए 25% सीटें (सार्वजनिक-निजी भागीदारी योजना के हिस्से के रूप में राज्य द्वारा प्रतिपूर्ति के लिए) आरक्षित करना आवश्यक है।

- न्यूयॉर्क के 'पी.ई.यू. रिसर्च सेंटर' (Pew Research Center) द्वारा विश्व के 90 से अधिक देशों में स्कूली शिक्षा मानकों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन 'विश्व में धर्म एवं शिक्षा' नाम से किया गया। यह दुनिया के प्रमुख धर्मों के बीच 'शैक्षिक प्राप्ति' (Educational Attainment) पर केंद्रित है। इसमें हिंदुओं में 'शैक्षिक प्राप्ति' का स्तर सबसे कम पाया गया और भारतीय विद्यालयी शैक्षणिक व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे निम्न स्थान प्रदान किया गया। दूसरी तरफ औसत स्कूली वर्ष (years of schooling) के संदर्भ में देखा जाए तो ईसाई धर्म में 9.3 वर्ष, बौद्ध धर्म में 7.9 वर्ष है, जबकि मुस्लिम एवं हिंदू धर्म में औसत स्कूली वर्ष 5.6 वर्ष है, जोकि वैश्विक औसत 7.7 वर्ष से काफी कम है।
- इसी प्रकार का अध्ययन हार्वर्ड विश्वविद्यालय और कोरिया विश्वविद्यालय के आर.जे. बैरो (R.J. Barro) द्वारा वर्ष 2011 में किया गया था और उसने भी लगभग इसी प्रकार का निष्कर्ष निकला था।
- पीसा (PISA), जोकि यूरोप में अपनाया जाने वाला माप मानक (Measurement Standards) है, ने भारतीय स्कूलों की गुणवत्ता का अध्ययन किया। इसके द्वारा किये गए 110 देशों के अध्ययन में भारत को नीचे से दूसरी रैंक प्रदान की गई, जो भारतीय शिक्षा की निराशाजनक स्थिति को दर्शाता है।
- प्रथम एन.जी.ओ. की 'वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट' (Annual Status of Education Report) के द्वारा वर्ष 2014 में किये गए मूल्यांकन में क्लास-III के सभी बच्चों का 75 प्रतिशत, कक्षा-V का 50 प्रतिशत और कक्षा आठवीं के 25 प्रतिशत बच्चे कक्षा-II की पुस्तक पढ़ने में असमर्थ पाए गए। यह भी पाया गया कि सरकारी स्कूलों में कक्षा-V के सभी बच्चों में पढ़ने के स्तर में वर्ष 2010 से वर्ष 2012 के बीच गिरावट देखी गई।
- दिल्ली में हुए एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि शहर के केवल 54 प्रतिशत बच्चे ही कुछ वाक्य पढ़ सकते हैं।

सकारात्मक पक्ष

- अनेक अध्ययनों से यह साबित हो चुका है कि विश्व में सीखने की दृष्टि से भारतीय बच्चे किसी अन्य देश से आगे हैं। उदाहरणस्वरूप अमेरिका में भारतीय अमेरिकी सबसे ज्यादा शिक्षित समुदायों में से एक हैं।

समस्या

- मुख्य समस्या शासन की गुणवत्ता (Abysmal Quality of Governance) में कमी मानी गई है।
- शिक्षा प्रणाली 'समावेशी' नहीं है।
- शिक्षक प्रबंधन, शिक्षक की शिक्षा और प्रशिक्षण, स्कूल प्रशासन और प्रबंधन के स्तर पर कमी।
- पाठ्यक्रमों में व्यावहारिकता की कमी।
- स्कूल स्तर के आँकड़ों की अविश्वसनीयता।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिये किये गए प्रावधानों को लागू न किया जाना।
- शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) को जमीनी स्तर पर लागू न किया जाना इत्यादि।
- अवसरंचना का अभाव।
- शिक्षा संस्थानों की खराब वैश्विक रैंकिंग।
- प्रदान की गई शिक्षा और उद्योग के लिये आवश्यक शिक्षा के बीच अंतर।
- महंगी उच्च शिक्षा।
- लैंगिक मुद्दे।
- भारतीय बच्चों के लिये आधारभूत सुविधाओं की कमी।

- शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- सरकारी खर्च को बढ़ाना।
- समावेशी शिक्षा प्रणाली पर जोर देना।
- गुणवत्ता की शिक्षा को बढ़ावा देना।
- शिक्षा क्षेत्र में ढाँचागत विकास हेतु 'पीपीपी मॉडल' को अपनाना।
- समावेशी शिक्षा नीति का निर्माण करना।

सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदम

- सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने हेतु 'टी.आर. सुब्रह्मण्यम समिति' का गठन किया गया था। समिति ने शिक्षा क्षेत्र के लिये एक नया सिविल सर्विस कैडर बनाने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) का उन्मूलन, कक्षा-V तक निरोधक नीति (no-detention policy) जारी रखना और प्राथमिक विद्यालय स्तर पर अंग्रेजी की शिक्षा देने जैसे अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे। इस समिति के प्रावधानों को सरकार द्वारा अभी तक लागू नहीं किया गया है।
- सरकार ने हाल ही में भारतीय शिक्षा नीति को तैयार करने के लिये 'के. कस्तूरिरंगन समिति' (K. Kasturirangan) का गठन किया। इस समिति का प्रमुख कार्य भारतीय शिक्षा व्यवस्था को समकालीन बनाने, उसकी गुणवत्ता में सुधार करने, शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण तथा विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में प्रवेश जैसे कई महत्वपूर्ण प्रावधानों पर रोडमैप तैयार करना है।

समाधान

- शिक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।

संभावित प्रश्न

प्र.: "भारत सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने हेतु कई उपायों और नीतियों का क्रियान्वयन किया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी नीति इस क्षेत्र में व्यापक कमियों को दूर करने में पूरी तरह सक्षम नहीं हो सकी है।" इस कथन के संदर्भ में सरकारी नीतियों की असफलता के कारणों, देश की शिक्षा व्यवस्था में विद्यमान कमियों तथा इन कमियों को दूर करने हेतु उचित समाधानों की व्याख्या कीजिये। (200 शब्द)

Q.: "Many measures and policies have been implemented to improve the education system by the Indian government, but no policy has so far been able to overcome the shortcomings in this area." In the context of the above statement explain the reason for the failure of the government policies, the existing short comings in the education system and the appropriate solutions to overcome these short comings. (200 words)